कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू ।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक ..../रा0 दिनांक ....

प्रेषक,

उपायुक्त,
पलामू ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
–सह– असैन्य शल्य चिकित्सक, पलामू ।

विषयः पलामू में नया चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि के संदर्भ में प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंगः इस कार्यालय के पत्रांक 620/रा0 दिनांक 20.04.15 एवं सरकार के संयुक्त सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं प0क0विभाग, झारखण्ड, सरकार के पत्रांक 130 (ए0)/स्वा0 दिनांक 10.06.14

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सादर कहना है कि पलामू में नया चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना हेतु ग्राम–पोखराहाखूर्द, थाना–मेदिनीनगर अवस्थित खाता सं0–85 प्लॉट–1375, रकबा–12.50 ए0 (समतुल्य लगभग 5 हेक्टेयर) भूमि का प्रस्ताव दिया गया था। 12.50 ए0 भूमि वास्तविक रूप 5.06 हेक्टेयर के बराबर होता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–F No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 से पांच हेक्टेयर से अनाधिक वन भूमि का अपयोजन के सामान्य स्वीकृति की शक्ति वन एवं पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रात्योजित की गई है।

चूँकि पूर्व में 12.50 ए0 का प्रस्ताव दिया गया है जो कि 5.06 हेक्टेयर के बराबर है ऐसे में इतनी भूमि के अपयोजन हेतु भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता होगी, जिसमें अत्यधिक समय लग सकता है।

पलामू में नये मेडिकल कॉलेज के स्थापना हेतु MCI के निर्देश के अनुसार सदर अस्पताल के भूमि सहित कुल 20.00 ए0 भूमि की आवश्यकता है। सदर अस्पताल में कुल 8.93 ए0 भूमि समाहित है। ऐसे में यदि 12.00 ए0 भूमि ग्राम–पोखराहा खूर्द थाना–मेदिनीनगर, में आवंटित कर दी जाती है तो कुल भूमि 20.93 ए0 हो जाएगा, जिसमें MCI का मापदण्ड पूर्ण हो जाएगा एवं 12.00 ए0 तक **Deemed forest** की भूमि का अपयोजन राज्यस्तर पर वन पर्यावरण विभाग द्वारा कम समय में प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि ग्राम–पोखराहा खूर्द, थाना नं0–205, थाना–सदर मेदिनीनगर के खाता सं0–85, प्लॉट–1375, रकबा–12.00 ए0 के रूप में पूर्व प्रस्ताव को संशोधित करते हुए [illegible] वन एवं पर्यावरण विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर सूचित किया जाय, ताकि गैर मंजरूआ **Deemed** वन भूमि का अंतरण किया जा सकें।

विश्वासभाजन

ह0/- 15/8/15

उपायुक्त, पलामू ।

ज्ञापांक ..1080....../रा0 दिनांक ..15.8.15..

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपिः आप्त सचिव, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/- 15/8/15

उपायुक्त, पलामू ।